सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या –1753 /2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. सुवालाल पुत्र धन्नालाल जाति कुमावत निवासी बाजटा तहसील सावर जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. कालू पुत्र भुवाना जाति कुमावत
2. गोपाल पुत्र काना जाति कुमावत
3. श्रवण पुत्र छीतर जाति कुमावत
4. जगदीश पुत्र भुवाना जाति कुमावत
5. परमेश्वर पुत्र स्व.भंवरलाल जाति कुमावत
6. मंजू पत्नि स्व. भंवरलाल जाति कुमावत
   समस्त निवासीगण बाजटा तह. सावर जिला अजमेर
7. राज.सरकार जर्ये तहसीलदार सावर तहसील सावर जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

8. नन्दलाल पुत्र धन्ना जाति कुमावत
9. गंगा पुत्री धन्ना जाति कुमावत
10. सीता पत्नि सोनाथ जाति कुमावत
11. कालूराम पुत्र सोनाथ जाति कुमावत
12. काली पुत्री सोनाथ जाति कुमावत

समस्त निवासीगण बाजटा तह. सावर जिला अजमेर

प्रफॉर्मा प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–16.5.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प सावर में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। विवरण निम्न प्रकार है–

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि **वाके ग्राम बाजटा तहसील सावर की जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 592 के खसरा नम्बर 1500,1501 कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 हैक्ट.** भूमि वादी एंव प्रफॉर्मा प्रतिवादीगण के नाम खातेदार काश्तकार दर्ज है एवं कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य में चली आ रही है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 वादग्रस्त आराजीयात के पडोसी खातेदार है जिनसे सीमा विवाद के कारण आपस में झगडा फसाद होने का अंदेशा बना रहता है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 वादी एव प्रफार्मा प्रतिवादीगण के वादग्रस्त आराजीयात में घुसकर हांकचोक देते है ,मैड को तोड देते है फसल को नुकसान पहुचाते है। जिसके कारण उक्त वादपत्र पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली केम्प कोर्ट बाजटा में पेश हुई । वादी/प्रतिवादी उपस्थित। जवाब सरकार तहसीलदार सावर का पेश हुआ । जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया । उपस्थित पक्षकारान को सूना । प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार सावर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया । वादग्रस्त आराजीयात वादी एंव प्रफॉर्मा प्रतिवादीगण की स्वयं की खातेदारी आराजीयात होने से वादी का प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है तथा वादपत्र का संतुलन भी वादी के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का वाके **ग्राम बाजटा तहसील सावर की जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 592 के खसरा नम्बर 1500,1501 कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 हैक्ट.** भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सावर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर एवं आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद की सहायता प्राप्त कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना) मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से 16.5.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी